HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3425/2026

Rakesh Kumar S/o Mahaveer, Aged About 24 Years, Resident Of Ward No. 09, Kikraliya, Tehsil Rawatsar, District Hanumangarh. (At Present Lodged In Sub Jail, Nohar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vinod Kumar Sihag
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– **रावतसर, जिला–हनुमानगढ़** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **676/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 3/25(1–बी)(ए) आयुध अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में धारा 5/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त से आग्नेयास्त्र की बरामदगी नहीं हुई है अपितु आग्नेयास्त्र की बरामदगी अन्य सहअभियुक्त मुस्तफा से हुई है एवं मुस्तफा के पूछताछ नोट के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में सम्बद्ध किया गया है। अभियोग पत्र में यह तथ्य दर्शित किया गया है कि मुस्तफा एवं प्रार्थी/अभियुक्त में मध्य कोई वॉट्सअप वार्ता नहीं हुई है और न ही इस प्रकार के तथ्य अभिलेख पर आए हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त बरामदशुदा आग्नेयास्त्र अन्य सहअभियुक्त को उपलब्ध कराया हो।

प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त एक अभ्यस्त अपराधी है, प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कई अन्य प्रकरण विभिन्न अपराधों में पंजीबद्ध हुए हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अन्य गुणावगुण पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। मुख्य अभियुक्त मुस्तफा से उक्त आग्नेयास्त्र बरामद हुआ है तथा उसके पूछताछ नोट के आधार पर ही प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में संबद्ध करना बताया गया है। इस संबंध में सहअभियुक्त मुस्तफा के पूछताछ नोट के अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत तथ्य अभिलेख पर विद्यमान नहीं है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **राकेश कुमार पुत्र महावीर** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः–

प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की

उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

108-Yogeshwar Sharma/-